भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1202
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए नए आपराधिक कानून

1202# डा. दिनेश शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए आपराधिक कानूनों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए की प्रावधान किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज मामलों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य-वार आंकड़े हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए नए आपराधिक कानूनों में किए गए प्रावधानों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

i. त्वरित और निष्पक्ष निपटान: नए कानून, मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच (14 दिन में पूरी की जानी), बाद की जांच (90 दिन में पूरी की जानी), पीड़ित और दोषी को दस्तावेज उपलब्ध कराना (14 दिन के भीतर), विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता (90 दिन के भीतर), डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना (60 दिन के भीतर), आरोप तय करना (60 दिन के भीतर), निर्णय देना (45 दिन के भीतर) और दया याचिका दायर करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन में) जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित करके निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान किया गया है।

ii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

iii. स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने एवं समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो स्थगन का प्रावधान किया गया है।

iv. न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए ई-समन, ई-साक्ष्य और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। ई-समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्यों के वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करता है।

(ग) और (घ): भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज मामलों की संख्या के राज्य-वार आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं।

******

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1202, दिनांक 10.12.2025

अनुलग्नक

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**भारतीय न्याय संहिता के तहत दिनांक 01.07.2024 से 30.11.2025 तक दर्ज मामले**
1	अंडमान और निकोबार	799
2	आंध्र प्रदेश	1,71,472
3	अरुणाचल प्रदेश	3,468
4	असम	56,826
5	बिहार	3,14,844
6	चंडीगढ़	4,816
7	छत्तीसगढ़	1,06,397
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	799
9	दिल्ली	3,59,722
10	गोवा	2,991
11	गुजरात	2,19,101
12	हरियाणा	1,52,421
13	हिमाचल प्रदेश	18,186
14	जम्मू और कश्मीर	31,614
15	झारखंड	71,758
16	कर्नाटक	2,14,105
17	केरल	4,80,231
18	लद्दाख	785
19	लक्षद्वीप	83
20	मध्य प्रदेश	4,31,856
21	महाराष्ट्र	5,27,971
22	मणिपुर	3,094

जारी....

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1202, दिनांक 10.12.2025

23	मेघालय	4,853
24	मिजोरम	2,963
25	नागालैंड	1,103
26	ओडिशा	2,61,373
27	पुडुचेरी	6,503
28	पंजाब	63,988
29	राजस्थान	2,67,160
30	सिक्कम	656
31	तमिलनाडु	85,353
32	तेलंगाना	2,54,225
33	त्रिपुरा	4,142
34	उत्तर प्रदेश	6,79,711
35	उत्तराखंड	20,700
36	पश्चिम बंगाल	3,05,948
कुल		51,32,017

****